।। निदेशालय, महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान।।

फोन :– 0141–2612018, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : hg.trg.rj@nic.in
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in

क्रमांक: DHG/Trg.-2/(1-4)/2023-00074/ 17440 दिनांक: 2/5/2023

– :: परिपत्र ::–

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं को उनकी मांग अनुसार गृह रक्षा स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात करने हेतु इस मुख्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक: गृरमु/प्रशि0/डी–1(1–1)88 पार्ट–III/20361–496 दिनांक 05.08.2019 का व्यतिक्रमण करते हुए शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा सदस्यों के नियोजन हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :–

1. स्वयंसेवकों की ड्यूटी प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/उपक्रम/निगम के समकक्ष स्थाई कार्मिकों पर लागू नियमों के तहत परिभाषित मानी जावेगी।
2. स्वयंसेवकों की ड्यटी की अवधि प्राप्तकर्ता विभागों/संस्थाओं के समकक्ष स्थाई कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार मानी जावेगी।
3. ड्यूटी पर उपलब्ध कराये जाने वाले सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तथा समय–समय पर यथा संशोधित दर से ड्यूटी भत्ता/मानदेय भत्ता/अन्य भत्ते देय होगें। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(7)गृह–7/2023 जयपुर दिनांक 09.03.2023 के आदेशानुसार वर्तमान में पुलिस आरक्षी के समान डयूटी करने वाले गृह रक्षा स्वयंसेवक जो निर्धारित वर्दी में पुलिस आरक्षी के समान सुरक्षा ड्यूटी करते है तथा वाहन संचालन का कार्य करने वाले समस्त वाहन चालक गृह रक्षा स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ता राशि रूपये 797/– प्रतिदिवस की दर से तथा अन्य गृह रक्षा स्वयं सेवक जो सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागो एवं संस्थानों में बिना वर्दी सामान्य गणवेश में अन्य विविध ड्यूटियों पर नियोजित किये जाने वाले है, को ड्यूटी भत्ता राशि रूपये 679/– प्रतिदिवस दर से भुगतान देय है।
4. अगर स्वयंसेवकों को 15 कि.मी. से अधिक दूरी पर ड्यूटी के लिये तैनात किया जाता है, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ता देय होगा।
5. यदि ड्यूटी स्थान स्वयंसेवक सदस्यों के निवास स्थान से 08 कि.मी. से अधिक दूरी पर है, तो उनके निवास स्थान से ड्यूटी स्थल पर आने व जाने के लिये प्रति सदस्य वास्तविक किराया अथवा 20/–प्रति दिन जो भी कम हो ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त देय होगा (राज्य सरकार का पत्र क्रमांक : एफ–1(क)(1)गृह–2/2012 दिनांक 06.08.2014)
6. गृह रक्षा स्वयंसेवकों को ड्यूटी व यात्रा भत्ता के अतिरिक्त वर्दी धुलाई भत्ता भी राज्य सरकार की स्वीकृत दर से देय होगा वर्तमान में धुलाई भत्ता प्रति सदस्य रू.15/– प्रति सप्ताह तथा अधिकतम 75/–रूपये प्रति माह देय है (राज्य सरकार का पत्र क्रमांक एफ–1(क)(4)गृह–/2016 दिनांक 27.04.2016)
7. (A) राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानों के तहत अनुग्रह अनुदान की राशि महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत /भुगतान की जावेगी।

   (B) राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों के अलावा अन्य स्वायत्तशाषी संस्थानों, निगम, बोर्ड केन्द्र सरकार के कार्यालयों, निजी संस्थानो इत्यादि मे ड्यूटी के दौरान स्वयंसेवको की मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान/मुआवजा राशि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 में अंकित प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित स्वायत्ताशाषी संस्थान, निगम, बोर्ड, केन्द्र सरकार के कार्यालय, निजी संस्थान इत्यादि द्वारा भुगतान की जावेगी।

Signature valid
Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.05.02 12:17:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3737322

(C) ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोंट लगने/विकलांग होने की स्थिति में सम्बन्धित प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/उपक्रम द्वारा स्वयंसेवको को मुआवजा राशि/परिलाभ का भुगतान किया जायेगा। यह राशि उक्त विभाग/संस्थान/उपक्रम में कार्यरत स्थाई कार्मिक जो स्वयंसेवक के समकक्ष है को देय मुआवजा/परिलाभों के अनुरूप होगी।

8. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण अगर कोई सदस्य चिकित्सालय में भर्ती होकर ईलाज कराता है, तो चिकित्सालय में भर्ती अवधि को ड्यूटी माना जावेगा तथा इस अवधि का ड्यूटी भत्ता प्राप्तकर्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा। यदि घायल स्वयंसेवक बाह्य रोगी के रूप में ईलाज कराता है, चिकित्साधिकारी की सलाह अनुसार अवकाश पर रहता है तो इस अवधि का ड्यूटी भत्ता देय नही होगा। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण चिकित्सालय में स्वयंसेवक के बाह्य ईलाज व्यय का पुर्नभरण प्राप्तकर्ता एजेन्सी द्वारा किया जावेगा एवं आंतरिक ईलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत प्राप्तकर्ता एजेन्सी की निगरानी में करवाया जावेगा। यदि आंतरिक ईलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत कवर नहीं है तो ईलाज पर किये गये व्यय का पुर्नभरण प्राप्तकर्ता एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। दुर्घटना के उपरांत स्वयंसेवक को दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक ले जाने हेतु परिवहन व अन्य सभी प्रकार के विविध व्यय का भुगतान प्राप्तकर्ता एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।

9. होमगार्ड्स के नियोजन उपरांत देय भुगतान पर अगर CGST/SGST इत्यादि अन्य कोई शुल्क लागू होता है तो उक्त शुल्क संदर्भित प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/निगम द्वारा दिया जावेगा।

10. स्वयंसेवकों की ड्यूटी के पर्यवेक्षण में तैनात स्थायी स्टाफ का यात्रा भत्ता/विराम भत्ता राज्य सरकार द्वारा अधिकृत यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार प्राप्तकर्ता ऐजेन्सी द्वारा देय होगा

11. स्वयंसेवकों की ड्यूटी 08 घण्टे से अधिक नहीं ली जायेगी।

12. स्वयंसेवकों को एक माह के रोटेशन से बदला जायेगा ।

13. समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/निगम द्वारा नियोजित स्वयंसेवकों को देय मानदेय भत्ता राशि के अतिरिक्त कुल मानदेय राशि का 10 प्रतिशत राशि विभागीय कल्याण कोष में अनुदान के रूप में जमा करना होगा।

14. समस्त राजकीय विभागो को छोड़कर सभी प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/निगम द्वारा स्वयंसेवको को एक माह के लिये देय भत्तों की कुल राशि का अग्रिम भुगतान कार्यालय में जमा कराना होगा। इस राशि का ड्यूटी समाप्ति पर अन्तिम भुगतान करते समय समायोजन किया जावेगा।

15. नियोजित स्वयंसेवकों द्वारा की जा रही विधिपूर्ण ड्यूटी के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कानूनी पेंचीदगीयाँ उत्पन्न होने की परिस्थिति में समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाही करने का दायित्व प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/निगम का होगा तथा इस पर होने वाला व्ययभार भी प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/निगम द्वारा देय होगा।

16. गृह रक्षा सदस्य को ड्यूटी के दौरान भा.द.स. की धारा 21 में परिभाषित लोकसेवक की मान्यता प्राप्त होंगी। (राज. होमगार्डस् एक्ट 1963 की धारा–11)

17. किसी विभाग/संस्थान/उपक्रम आदि से स्वयंसेवक उपलब्ध कराने की लिखित मांग प्राप्त होने पर उक्त शर्तों की लिखित सहमति प्राप्त कर उपलब्धता के अनुसार स्वयंसेवकों को ड्यूटी देने के लिये प्राप्तकर्ता को होमगार्ड उपलब्ध कराने के लिये समादेष्टा गृह रक्षा सक्षम होगें।

18. प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/निगम द्वारा यदि आर्म्ड होमगार्ड की मांग की जाती है तो इस संबंध में विभागीय नियोजन नीति कमांक 26815–851 दिनांक 16.09.2022 (पिस्टलधारी होमगार्ड) तथा परिपत्र कमांक 26779–814 दिनांक 16.09.2022 (7.62 MM SLR) में वर्णित शर्तों पर प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान/निगम द्वारा सहमति प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

(यू. आर. साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Utkal Ranjan Sahoo
Designation : Director General
Date: 2023.05.02 12:17:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3737322